न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 141/2022 (RCMS : 2022/209)

लखा सिंह पुत्र श्री तारा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर–2, करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

उपखण्ड पदेन पुर्नवास, श्रीकरणपुर

06.03.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी पदेन पुर्नवास, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2007 अनवानी मूर्ति देवी बनाम सरकार को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पुर्नवास, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके प्रकरण को खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उनका प्रकरण काफी पुराना है इसलिए उनके प्ररकण को उपखण्ड अधिकारी पदेन पुर्नवास, श्रीकरणपुर को शीघ्र निस्तारण के आदेश दिये जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2007 अनवानी मूर्ति देवी बनाम सरकार में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण काफी पुराना है इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है यदि किसी उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो वे उक्त प्रकरण को निर्णय की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के 03 माह में निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:07 IST
Reason: SelfAttested